भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3162

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव

3162. श्री शेर सिंह घुबाया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय डाक विभाग के 3.50 लाख ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत 25 वर्षों से लंबित मामलों का समाधान किस प्रकार से और किस समय-सीमा में होने की संभावना है;

(ग) क्या उनके वेतन और संबंधित भत्ते का भुगतान किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार के पास उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसे किस प्रकार से और किस समय-सीमा में प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(च) शैक्षणिक संस्थानों और महाविद्यालयों में कर्मचारियों की कमी को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की भर्ती और सेवा शर्तें, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा शासित नहीं हैं। वर्तमान में, उन्हें नियमित कर्मचारियों का दर्जा देने अथवा उनके पदों को स्थायी पदों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) दिनांक 29.07.2020 को घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020), 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती हुई विभिन्न विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना है। इस नीति के अंतर्गत, शिक्षा तंत्र के विनियमन और विनियंत्रण सहित सभी पहलुओं की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि एक ऐसी नवीन प्रणाली विकसित की जा सके, जो भारत की परम्पराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) सहित 21वीं सदी के शिक्षा संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में, वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाकर 50% करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए उच्च शिक्षण संस्थान खोलना, विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप योजनाएं प्रारंभ करना व उन्हें लागू करना, उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पूर्णत: मुक्त दूरस्थ शिक्षा(ओपन डिस्टेंस लर्निंग)/ ऑनलाइन कार्यक्रम ऑफर करना, उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रवेश व एक्जिट के विविध विकल्प, एक ही समय पर दो अकादमिक कार्यक्रमों में नामांकन, स्वयं (SWAYAM) प्लैटफ़ार्म के माध्यम से 'कभी भी, कहीं भी' शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले तथा स्थानीय भाषा-भाषी विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जेईई, नीट (यूजी) और संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) को 13 भाषाओं में आयोजित करना शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न समय-सीमाओं के साथ-साथ, सिद्धांतों और कार्य पद्धतियों का प्रावधान किया गया गया है। चूंकि, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है; अतः सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों, समान रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा-संबंधी मंत्रालयों, विद्यालयों और उच्च शिक्षा के विनियमन और कार्यान्वयन संबंधी निकायों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं।

*****